

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या: ६५९ /७७-६-१८-एल.सी. ४/१८
लखनऊ : दिनांक २७ फरवरी, २०१८

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल “उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018” प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आलोक सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

संख्या: ६५९ (१) /७७-६-१८-एल.सी. ४/२०१८ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) मुख्य सचिव/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
- (7) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत संशोधन उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए १५० प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (8) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- (9) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (10) समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
- (11) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह पटेल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश वैअरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018

1. प्रस्तावना

नवीन प्रौद्यौगिकी, उपभोक्ताओं की नई अपेक्षाओं एवं व्यवसाय के नवीन स्वरूपों (मॉडल्स) के उदय के साथ ही लॉजिस्टिक्स उद्योग विश्व-स्तर पर त्वरित गति से प्रगति कर रहा है। राजस्व के सन्दर्भ में इस उद्योग में 2015 से 2024 तक 7.5 प्रतिशत् की दर से सी.ए.जी.आर.(कम्पाउण्ड एनुअल ग्रोथ रेट) में वृद्धि की सम्भावना है (ट्रॉसपेरेन्सी इण्टरनेशनल रिपोर्ट, 2016)। एशिया पैसिफिक क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा एवं द्रुत गति से वृद्धिमान बाजार है, जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक सम्भावनाओं वाले बाजारों में से एक है।

भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इन्डेक्स रैंकिंग में तेजी से सुधार हो रहा है तथा वर्ष 2016 में 19 स्थानों के सुधार के साथ 35वें स्थान पर पहुँच गयी है (विश्व बैंक)। वर्ष 2016 से 2020 के मध्य इस उद्योग में 15-20 प्रतिशत् सी.ए.जी.आर.की वृद्धि की सम्भावना है (सीएआरई रेटिंग्स 2016) तथा आशा है कि वर्ष 2019 तक भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग रु.13,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा।

भारत में कुल माल परिवहन का लगभग 60 प्रतिशत् सड़क-मार्ग से होता है, जबकि रेल एवं तटीय जहाज़रानी जल मार्ग का अंश क्रमशः प्रतिशत् 32 प्रतिशत् एवं 7प्रतिशत् है। आन्तरिक जलमार्ग तथा हवाई-मार्ग, प्रत्येक का अंश 1 प्रतिशत् से भी कम है, जिससे राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यक्रम (नेशनल वॉटरवेज़ प्रोग्राम) तथा उड़ान विभाग द्वारा जलमार्ग कार्यक्रम (रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम) के विकास के साथ इस क्षेत्र के व्यापक विस्तार का महत्व परिलक्षित होता है।

हाल ही में समस्त लॉजिस्टिक्स सेवाओं हेतु 100 प्रतिशत् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को स्वतःमार्ग (ऑटोमेटिक रूट) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है (हवाई-कार्गो एवं कुरियर के अतिरिक्त, जिसमें 74 प्रतिशत् एफ.डी.आई. अनुमन्य है)। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू हो जाने से लॉजिस्टिक्स उद्योग की कुल लागत के और कम होने का अनुमान है। पूर्व में भिन्न-भिन्न कर-श्रेणियों के कारण कम्पनियों को प्रत्येक राज्य में वैअरहाउसेज़ स्थापित करने पड़ते थे। किन्तु वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण अब छोटे-छोटे कई वैअरहाउसेज़ के स्थान पर कम्पनियाँ व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े-बड़े वैअरहाउसेज़ स्थापित कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अब देश में बुनियादी ढाँचे (अवस्थापकीय सुविधा) के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

भारत सरकार के ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग तथा सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं में निवेश हेतु अनुकूल पारिस्थिकी तंत्र के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति

2017 घोषित की हैं। उत्तर प्रदेश वैअरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 की पूरक के रूप में राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सुदृढ़ करना है।

2. उत्तर प्रदेश-लाभ के अवसर

उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य तथा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश के शीर्ष के पाँच विनिर्माण (मैन्यूफॉर्मिंग) प्रदेशों में से एक, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (संगठित व असंगठित) की देश में दूसरी सर्वाधिक संख्या है। विगत् 5 वर्षों (2012-17) में प्रदेश से निर्यात में सी.ए.जी.आर. में 13.26 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है, इसलिये लॉजिस्टिक्स उद्योग के विकास हेतु प्रदेश में प्रचुर संभावनाएं हैं।

2.1 उच्च-स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं

रणनीतिक रूप में स्वर्णिम चतुष्कोण(गोल्डन क्याड्रिलेटरल) पर स्थित तथा 8,949 किलोमीटर में फैले हुए सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के साथ, उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक उद्योग के विस्तार हेतु आवश्यक वातावरण तैयार है। देश के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा होना प्रदेश को बाजार तक पहुँच का सामरिक लाभ प्रदान करता है। प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी में स्थित हैं।

लखनऊ, कानपुर, मेरठ तथा वाराणसी में स्थापित होने वाली मल्टी-सिटी मेट्रो रेल परियोजनाएं तथा जेवर एवं कुशीनगर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रदेश में कनेक्टिविटी के लाभ की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (इलाहाबाद-हल्दिया अन्तरदेशीय जलमार्ग) परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्यातक केन्द्रों (एक्सपोर्टिंग हब्स) को लाभ मिलने की सम्भावना है। दीर्घकालिक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार वायु, जल एवं रेल कनेक्टिविटी सुविधाओं के नेटवर्क का सृजन करेगी, जिससे राज्य की उद्योग एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को परिवहन के विभिन्न माध्यमों से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाने हेतु उत्कृष्ट व सुचारू सुविधाएं सुलभ हो सकें।

2.2 प्रमुख फ्रेट कॉरीडोर्स तथा औद्योगिक कॉरीडोर्स

उल्लेखनीय है कि देश में विकसित किए जा रहे दो औद्योगिक तथा फ्रेट कॉरीडोर्स - दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.)-वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (डब्ल्यू.डी.एफ.सी.) तथा अमृतसर-कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (ए.के.आई.सी.)-ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ई.डी.एफ.सी.) के बड़े भाग उत्तर प्रदेश में हैं।

। ପାତ୍ରଙ୍କିଳୀଙ୍କ କେବେ କୁଣ୍ଡଳୀଙ୍କ / ମହାଦୂର୍ଗାଙ୍କ

፩፻፲፭ የፌዴራል በፌትህ ከፌተኛውን ደንብ

一
九

(b)

प्राप्त किया जा सके। डी.एम.आई.सी. तथा ई.डी.एफ.सी. परियोजनाओं से आच्छादित क्षेत्रों (कैचमेट एरिया) से सटे क्षेत्रों के अतिरिक्त राज्य में कई अन्य स्थानों पर भी लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। इसमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास मेरठ में तथा प्रस्तावित भाउपुर औद्योगिक क्षेत्र के निकट लॉजिस्टिक्स हब सम्मिलित हैं। इसी प्रकार 3,000 हेक्टेएर से अधिक के क्षेत्रफल में प्रस्तावित मुगलसराय-वाराणसी-मिर्जापुर निवेश परिक्षेत्र (इन्वेस्टमेण्ट जोन) के निकट पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे के पास आजमगढ़ इस प्रयोजन हेतु एक उपयुक्त स्थान है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से सटे 5567 हेक्टेएर क्षेत्र में प्रस्तावित झाँसी राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) एक अन्य ऐसा स्थान है, जो उत्तर भारतीय राज्यों के लिये दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुँचने का प्रवेशद्वार है। इसके अतिरिक्त, हल्दिया बंदरगाह की ओर जाने के लिये विकसित किये जाने वाले अन्तर्देशीय जलमार्ग (इनलैण्ड वाटरवे) के साथ सटे हुये क्षेत्र में इलाहाबाद भी लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिये अत्यन्त आकर्षक स्थानों में से एक है।

3. नीति-विषय

उत्तर प्रदेश सरकार का विश्वास है कि राज्य में स्थाई व सतत औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। घरेलू एवं निर्यात बाजार में राज्य में निर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि हेतु एक जीवंत वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र होना आवश्यक है। इस क्षेत्र के विकास से राज्य में न केवल विनिर्माण एवं रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, अपितु प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में भी वृद्धि होगी। उपरोक्त विकासकारक तथ्यों के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सामरिक भौगोलिक स्थिति का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अधिकतम लाभ उठाने के आशय से इस 'वेअरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति' को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है।

औद्योगिकरण की त्वरित गति प्रदेश में और अधिक परिष्कृत लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी मांग सृजित कर रही है। जीएसटी लागू होने के कारण भारत एक एकीकृत बाजार बन गया है, तथा उत्तर प्रदेश में देश के मैन्युफैक्चरिंग एवं वेअरहाउसिंग हब के रूप में उभरने की असीम सम्भानाएं हैं। राज्य में स्टेट वेअरहाउस कारपोरेशन के अन्तर्गत विद्यमान बड़ी संख्या में वेअरहाउसेज़, नेशनल हॉटिंकल्चर मिशन के अन्तर्गत शीतगृह, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबांड) के अधीन ग्रामीण भण्डारण गृह आदि की उपस्थिति में विशाल भण्डारण क्षमता है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में 71.84 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले लगभग 174 वेअरहाउसेज़ हैं। तथापि यह क्षमता बढ़ती हुई भण्डारण आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिये प्रदेश की भण्डारण क्षमता को विस्तारित किये जाने पर बल दिया जा रहा है।

इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य निम्नलिखित श्रेणियों तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है-

- वेअरहाउसिंग, साइलोज़, शीतगृह तथा संबंधित क्षेत्र
- ई-कॉमर्स हब
- रियल टाइम लॉजिस्टिक्स में तकनीकी समाधान, सप्लाई चेन प्रबन्धन तथा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट
- वेअरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोबोटिक्स तथा स्वचालन(ऑटोमेशन)
- कौशल विकास एवं प्रशिक्षण

यह नीति, प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2017 के विज़न और उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के साथ ही आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में लॉजिस्टिक उद्योग के विकास हेतु दिशा प्रदान करती है।

3.1 नीति के उद्देश्य

- फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिन्केजेस के साथ प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- आर्थिक गतिविधियों तथा वृहद् स्तर पर रोजगार प्रोत्साहन हेतु विद्यमान वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण तथा सुधार।
- प्रदेश की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करते हुये प्राइमरी एवं सेकेन्डरी सेक्टर्स के हित को बढ़ावा देना।
- ग्रीन एवं इनोवेटिव लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देते हुये प्रदेश में प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करना।

3.2 परिभाषाएं

इस नीति के अन्तर्गत लॉजिस्टिक्स पार्क तथा अन्य लॉजिस्टिक्स इकाईयों पर लागू होने वाले प्रोत्साहनों को निम्नवत परिभाषित किया गया है-

1. लॉजिस्टिक्स पार्क-

प्रदेश में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) तथा/अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) तथा/अथवा एयर फ्रेट स्टेशन्स तथा/अथवा वेअरहाउसेज तथा/अथवा कोल्ड चेन्स एवं संबंधित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हो,

इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। इस प्रकार के पार्क में निम्न सेवायें एवं अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित होंगी-

- लॉजिस्टिक्स सेवायें- पार्क की अवाश्यकताओं के अनुसार कारों एग्रीगेशन/सेग्रीगेशन, वितरण, सामग्री एवं कन्टेनर के इन्टर-मॉडल ट्रांसफर, चालू तथा बन्द भण्डारण, कारों ट्रॉज़िट अवधि में भण्डारण अनुकूल स्थिति, सामग्री प्रबन्धन उपकरण तथा व्यापार एवं व्यावसायिक सुविधाएं एवं कॉमन सुविधाएं।
- सहायक अवस्थापना सुविधाएं-पार्क की अवाश्यकताओं के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं यथा- आन्तरिक सड़क मार्ग, संचार सुविधाएं, खुला तथा हरित स्थान, जल आपूर्ति तंत्र (वाटर पाइप-लाइन्स), सीवेज एवं ड्रेनेज प्रणाली, डिस्पोजल सुविधाएं, विद्युत वितरण व्यवस्था की स्थापना, फीडर, सौर ऊर्जा पैनल्स इत्यादि।

भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स अवस्थापना के रूप में लॉजिस्टिक्स इकाइयों की परिभाषा का अनुसरण करते हुए यह नीति निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करने वाली लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी-

2. कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) अथवा अन्तर्रेशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), जिसमें न्यूनतम रु. 50 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 10 एकड़ हो ॥
3. वेअरहाउसिंग सुविधा, जिसमें न्यूनतम रु. 25 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फीट हो।
4. कोल्डचेन सुविधा, जिसमें न्यूनतम रु. 15 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फीट हो।

3.3 नीति का क्रियान्वयन

- यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा 05 वर्षों की अवधि तक लागू रहेगी।
- किसी भी चरण पर, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे नीति में संशोधन अथवा नीति के अधिक्रमण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधन/अतिक्रमण को अनुमोदित करने हेतु मा. मंत्रि परिषद ही अधिकृत होगी।

4. ନିର୍ମାଣ କଟକ୍ଷଣ (ସଂପର୍କ)

1. የኢትዮጵያ ከተማ ፈቃድ ቅዱስ ዘመን

• የዚህ በኩል እንደሚከተሉ ተቋማ ተስፋል ስለሚከተሉ ተቋማ ተስፋል ተስፋል ተስፋል

44.2 תְּלִקְבִּים תְּלִקְבִּים תְּלִקְבִּים תְּלִקְבִּים תְּלִקְבִּים תְּלִקְבִּים

4.4. **תְּלִיפָּה**(תְּלִיפָּה-תְּלִיפָּה) שֶׁבַתְּלִיפָּה שֶׁבַתְּלִיפָּה שֶׁבַתְּלִיפָּה שֶׁבַתְּלִיפָּה

प्रमुख नगरों में व्यापक ट्रांसपोर्ट ज़ोन्स (ट्रासपोर्ट नगर) को विकसित करने की योजना है, जिनमें प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवेज़, निवेश क्षेत्रों तथा इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर्स के समीप ट्रक टर्मिनल्स को विकसित किया जाना सम्भालित है। इन व्यापक ट्रान्सपोर्ट ज़ोन्स तथा टर्मिनल्स में माल ढोने वाले वाहनों के लिए कार्यशालाएं, भोजनालय, विश्राम-गृह इत्यादि कॉमन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

- 4.5 निःशुल्क व्यापार एवं वेअरहाउसिंग परिक्षेत्र (फ्री ट्रेड एण्ड वेअरहाउसिंग ज़ोन -एफटीडब्ल्यूजेड)-राज्य में निर्बाध रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात व निर्यात के सुचारू संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार अन्तर्देशीय कंटेनर डिपोज़, शुष्क बन्दरगाहों (ड्राई पोर्ट्स) तथा विद्यमान एवं विकसित किए जा रहे एक्सप्रेसवेज़, राजमार्गों एवं फ्रेट कॉरिडोर्स के समीपवर्ती क्षेत्रों में एफटीडब्ल्यूजेड्स की स्थापना का प्रयास करेगी। इन परिक्षेत्रों में कस्टमाइज्ड वेअरहाउसिंग, शीतगृह, कार्यालय हेतु स्थान, परिवहन व हैण्डलिंग सुविधाएं, यथा-स्वास्थ्य केन्द्र, भोजनालय आदि के साथ ही निर्यात-आयात हेतु एकल बिन्दु स्वीकृति व्यवस्था उपलब्ध होगी।
- 4.6 लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र (ज़ोन)-उत्तर भारत को देश के पूर्वी एवं पश्चिमी बन्दरगाहों से जोड़ने वाले दो मुख्य फ्रेट कॉरिडोर्स - वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंकशन दादरी में होने के कारण, राज्य सरकार इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में विकसित करने को विशेष महत्व देगी। इसी प्रकार भाउपुर व नैनी को भी लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों को चिन्हित व घोषित करेगी।
- इन परिक्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा बाधारहित कनेक्टिविटी, उत्कृष्ट सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना सुविधाएं, 24/7 जलापूर्ति तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इस नीति में परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्कों को राज्य सरकार वाह्य परिधीय सम्पर्क अवस्थापना सुविधाओं, यथा- सड़क, जल, विद्युत आपूर्ति, उपकेन्द्र, गैस तथा उत्प्रवाह निष्कासन व्यवस्था को उपलब्ध कराने में सहायता करेगी।
- 4.7 लॉजिस्टिक्स अवस्थापकीय आवश्यकताओं का निर्धारण - उपर्युक्त तथा सम्बन्धित सुविधाओं सहितअतिरिक्त लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों, विशेषतः वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, विद्यमान एवं प्रस्तावित एक्सप्रेसवे (यथा- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि), राष्ट्रीय जलमार्ग-1(इलाहाबाद-हल्दिया), बुन्देलखण्ड क्षेत्र (राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर झाँसी) तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की आवश्यकताओं के आकलन हेतु राज्य सरकार नियमित रूप से अध्ययन व सर्वेक्षण करवाएगी।

አዲስ አበባ ቤት የዕለታዊ ሪፐብሊክ ከተማ ነው እና ተከራካሪ
የመንግሥት የሚያሳይ የኢትዮጵያ ስልጣን ቤት ነው፡፡

4.10 **תְּלִיפָּתָה** **לְפָנֶיךָ** **תְּהִלָּתָה** (**הַלְּבָדָה** **הַלְּבָדָה**) **תְּהִלָּתָה** -**תְּלִיפָּתָה**

4.12 **የኢትዮጵያ** የ**አንድራይ-እናት** ተተክለት ነው እና ስራ

一九二九年四月

बायो-डिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग, रिसाइकिंग तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा आदि को अपनाया जाना शामिल हैं। इस प्रकार ग्रीन लॉजिस्टिक्स को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस संदर्भ में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को मर्ली-मोडल टांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स पार्कों में बढ़ावा दिया जाएगा।

- 4.13 सौर-ऊर्जायुक्त लॉजिस्टिक्स पार्क को प्रोत्साहन - स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता के दृष्टिगतराज्य सरकार लॉजिस्टिक्स पार्क के विकासकर्ताओं को ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करेगी।
- 4.14 लॉजिस्टिक्स कौशल विकास- लॉजिस्टिक्स उद्योग में विस्तार के परिणामस्वरूप वैअरहाउस प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, भारी-वाहन चालकों आदि जैसे कुशल कर्मियों की मांग बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में क्षेत्र-विशेष पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करेगी तथा उद्योग की आवश्यकतागुसार प्रशिक्षण के वर्तमान बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष बल देगी।

5. निजी लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश सरकार 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किये गये लॉजिस्टिक्स पार्कों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन पार्कों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाएंगे-

- 5.1 पूँजीगत ब्याज उपादान- सामग्री हैण्डलिंग उपकरण, लोडिंग एवं अनलोडिंग प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिए गये क्रहण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों हेतु पूँजीगत ब्याज उपादान के रूप में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमारू 2 करोड़ प्रतिवर्ष तथा रु. 10 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा तक पूँजीगत ब्याज उपादान प्रदान किया जाएगा।
- 5.2 अवस्थापना ब्याज उपादान -अवस्थापना सुविधाओं के विकास, यथा- सड़कों, ड्रेनेज, विद्युत वितरण लाइनों की स्थापना, सौर ऊर्जा पैनल्स हेतु लिए गए क्रहण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत तक, अधिकतम रु.2 करोड़ प्रतिवर्ष तथा रु. 10 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रदान किया जाएगा।
- 5.3 स्टॉम्प इयूटी से छूट-लॉजिस्टिक्स पार्क के विकासकर्ता द्वारा भूमि क्रय करने पर स्टॉम्प इयूटी पर 100 प्रतिशत छूट/प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- 5.4 इलेक्ट्रिसिटी इयूटी से छूट-लॉजिस्टिक्स पार्क के विकासकर्ता को इलेक्ट्रिसिटी इयूटी से 10 वर्ष की अवधि हेतु 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

- 5.5 ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति सुविधा-विकासकर्ता को 100 अथवा उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने पर, नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से तथा जो 200 कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने पर, उन्हें अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति की सुविधा राज्य सरकार द्वारा केवल उन पार्कों/इकाइयों को अनुमन्य होगी जो भारत सरकार की नीति से आच्छादित नहीं होते हैं।
- 5.6 भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क-विकासकर्ता को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 5.7 विकास शुल्क-पार्क से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग पर लिया जाएगा, किसी भी सुविधा का उपयोग न करने पर एक सांकेतिक (टोकन) धनराशि का भुगतान करना होगा।
- 5.8 कौशल विकास प्रोत्साहन-वेअरहाउस प्रबन्धन, लॉजिस्टिक्स प्रबन्धन आदि विषयों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर विकासकर्ता को वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कौशल विकास प्रोत्साहन की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 5.9 प्रज्ञ (इन्टेलीजेन्ट) लॉजिस्टिक्स हेतु प्रोत्साहन- मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब्स अथवा लॉजिस्टिक्स पार्कों अथवा कंटेनर फ्रेट स्टेशन/इनलैण्ड कंटेनर डिपो (सीएसएफ/आईसीडी) में सामग्री हैंडलिंग, कार्गो परिवहन तथा कार्गो ट्रैफिक की डी-कन्जेस्टिंग हेतु स्वाचालित सप्लाई चेन प्रोद्यौगिकी स्थापित करने हेतु लिए गये ऋण पर 5 प्रतिशत् प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उपादान के रूप में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु.1 करोड़ प्रति पार्क होगा।

6. लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

इस नीति में परिभाषित लॉजिस्टिक्स इकाइयाँ निम्नलिखित प्रोत्साहनों की पात्र होंगी-

- 6.1 पूँजीगत ब्याज उपादान-सामग्री हैण्डलिंग उपकरण, लोडिंग एवं अनलोडिंग प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिए गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों हेतु पूँजीगत ब्याज उपादान के रूप में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 50 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।
- 6.2 अवस्थापना ब्याज उपादान-सङ्क, जल-निकासी, विद्युत लाईन्स के निर्माण, सौर ऊर्जा पैनल्स इत्यादि जैसे स्वयं के उपयोगार्थ बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु लिए गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों हेतु अवस्थापना ब्याज उपादान के रूप में

ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रु.1करोड़ होगी तथा कुल अधिकतम सीमा रु. 5 करोड़ होगी।

- 6.3 इलोकिट्रिस्टी ड्यूटीसे छूट-सभी नई लॉजिस्टिक्स इकाइयों को इलोकिट्रिस्टी ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि हेतु 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
- 6.4 स्टैम्प ड्यूटी में छूट- बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाञ्चल क्षेत्र में 100 प्रतिशत, मध्याञ्चल एवं पश्चिमाञ्चल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद में 50 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क पर छूट।
- 6.5 ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति सुविधा-सभी नई लॉजिस्टिक्स इकाइयाँ, जो 100 अथवा उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं, को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से तथा जो इकाइयाँ 200 कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं, उन्हें अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति की सुविधा राज्य सरकार द्वारा केवल उन पार्कों/इकाइयों को अनुमन्य होगी जो भारत सरकार की नीति से आच्छादित नहीं होते हैं।
- 6.6 भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क-परिभाषित लॉजिस्टिक्स इकाइयों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 6.7 विकास शुल्क-विकासकर्ता को स्थल चयन ध्यानपूर्वक इस प्रकार करना होगा कि प्रस्तावित स्थल के अधिकतम 50 मीटर दूरी के अन्दर आवश्यक समस्त ट्रंक सुविधायें यथा-जलापूर्ति, जल-मल निस्तारण, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, विद्युत आपूर्ति तथा निर्धारित चौड़ाई की पक्की निर्मित सड़क पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में विकास कर्ता को योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वाह्य विकास शुल्क की देयता में 50 प्रतिशत की पूर्ण छूट होगी। योजना के समस्त आंतरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जायेंगे। विकासकर्ता द्वारा योजना के निवासियों के लिये जलापूर्ति, जल-मल निस्तारण, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु प्रस्तावित स्थल यदि किसी भी ट्रंक अवस्थापना सुविधा से निर्धारित सीमा 50 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उक्त छूट अनुमन्य नहीं होगी और आवेदक से पूर्ण विकास शुल्क एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत होगा।
- 6.8 वेअरहाउसेज का गुणवत्ता प्रमाणन(क्वालिटी सर्टिफिकेशन)- नीति में परिभाषित इकाइयों को गुणवत्ता प्रमाणन की लागत की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु.1.50 लाख होगी।

- 6.9 कौशल विकास प्रोत्साहन-वेअरहाउस प्रबन्धन, लॉजिस्टिक्स प्रबन्धन आदि विषयों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाइयों को अधिकतम 50 प्रशिक्षु प्रतिवर्ष के अनुसार 06 माह तक ₹.1000 प्रतिमाह प्रति-प्रशिक्षु की प्रतिपूति 5 वर्षों तक प्रदान की जायगी।

नोट -

1. बुन्देलखण्ड, पूर्वाचल क्षेत्रों तथा अधिसूचित लॉजिस्टिक्स पार्कों में इस नीति में उल्लिखित पात्र निजी लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को पूंजीगत् ब्याज उपादान तथा अवस्थापना ब्याज उपादान पर 10 प्रतिशत् अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। अतः निजी लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को पूंजीगत् ब्याज उपादान तथा अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत् की सीमा एवं निर्धारित अवधि तक प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा प्रतिवर्ष 2.2 करोड़ एवं 5 वर्ष में कुल 11 करोड़ होगी।
2. इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित परियोजनाओं हेतु प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट आदि समस्त प्रोत्साहन परिभाषित इकाइयों द्वारा किए गए स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत् की सीमा तक होंगे तथा वार्षिक अधिकतम सीमा स्थाई पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत् होगी।
7. **व्यापार करने में सहजता (ईंज ऑफ ड्रॉइंग बिजनेस)**

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के विज्ञन एवं गिशन को आगे बढ़ाते हुए यह नीति प्रदेश में व्यापार करने में सहजता सुनिश्चित करती है।

- 7.1 सिंगल विण्डो-लॉजिस्टिक्स इकाईयों हेतु आवश्यक समस्त स्वीकृतियाँ मुख्यमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी में क्रियाशील राज्य के सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।
- 7.2 समयबद्ध स्वीकृतियाँ-शीध एवं समयबद्ध स्वीकृतियों प्रदान करना इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस दिशा में अधिनियम के माध्यम से समस्त सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/ अनुज्ञा आदि का समय से निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7.3 गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति-औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार वेअरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को 24/7 निर्बाध एवं गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति हेतु प्रतिबद्ध है।
- 7.4 औद्योगिक सुरक्षा- उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निरापद एवं सुरक्षित औद्योगिक बातावरण प्रदान करेगी।

7.5 स्वीकृतियों प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण-

इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों की स्वीकृतियों को युक्तिसंगत रूप से प्रदान करने हेतु निम्न प्राविधान किये जाएंगे-

7.5.1 प्रशासनिक सरलीकरण- नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उद्देश्य से एक प्राधिकृत समिति गठित की जाएगी।

7.5.2 वित्तीय सरलीकरण-नीति के अन्तर्गत समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक स्वीकृति-पत्र निर्गत किया जाएगा तथा एकल बजट मद का सृजन किया जाएगा।

नोट- लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग इकाईयाँ जो किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करती हैं, तोवे इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने की भी पात्र होंगी, बशर्ते इन इकाईयों द्वारा एक ही प्रकार का लाभ किसी अन्य नीति के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।
